

सी.पी.एस., मुम्बई के माध्यम से प्रदेश के जिला/सिविल अस्पतालों में
पी.जी. डिप्लोमा सीट्स 2019 में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश

प्रदेश के चिन्हित अस्पतालों का अफिलिएशन सी.पी.एस., मुम्बई के साथ स्त्रीरोग एवं प्रसूति, शिशु स्वास्थ्य, निश्चेतना, जनरल मेडिसीन, एवं मनोरोग विषय में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये किया गया है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम दो वर्ष की अवधि का होगा तथा इसमें प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2019 के लिये दिया जाएगा।

पी.जी. डिप्लोमा सीट्स विवरण -

S No.	Name of Hospital	No. of Seats				
		Gynecology	Pediatrics	Anesthesia	Gen Medicine	Psychiatry
1	J P Hospital, Bhopal	4	2	2	-	-
2	District Hospital, Sagar	2	2	2	-	-
3	District Hospital, Satna	-	2	-	-	-
4	CH Rani Durgawati, Jabalpur	4	-	-	-	-
5	Kamla Nehru Hospital (Gas Rahat), Bhopal	-	-	-	2	-
6	Indira Gandhi Hospital (Gas Rahat), Bhopal	2	-	-	-	-
7	Mansik Arogyashala, Gwalior	-	-	-	-	4
Total		12	6	4	2	4

नोट : सत्र 2019 के लिये प्रदेश के अन्य जिला चिकित्सालयों में अतिरिक्त सीट्स भी उपलब्ध हो सकती हैं।

सी.पी.एस.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन हेतु मापदण्ड एवं पात्रता:-

1. पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश हेतु पी.जी. नीट-2019 क्वालिफाईड इन सर्विस चिकित्सा अधिकारी (नियमित एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा चिकित्सा अधिकारी) को ही पात्रता होगी।
2. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पुरुष चिकित्सा अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 01 जनवरी 2019 को 45 वर्ष तथा महिला चिकित्सा अधिकारियों के लिए 50 वर्ष होगी।
3. सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के सेवा अवधि की गणना दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति में की गई है।
4. पी.जी. नीट-2019 क्वालिफाईड चिकित्सकों को कॉउन्सलिंग में भाग लेने के लिये सी.पी.एस., मुंबई की साईट पर ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑन लाईन आवेदन दिनांक 07 मई 2019 से प्रारंभ होगा। इस हेतु सी.पी.एस., मुंबई को आवेदन शुल्क रुपये 15,000 जमा कराना होगा।
5. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स पर प्रवेश हेतु कॉउन्सलिंग के तीन चक्र एवं आवश्यक होने पर मॉप अप राउंड की कॉउन्सलिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल में जून प्रथम/द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी जिसकी सूचना विभाग की वेब साईट के माध्यम से दी जाएगी। पी.जी. डिप्लोमा सीट्स का आवंटन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।
6. प्रथम चक्र की कॉउन्सलिंग में ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करने वाले चिकित्सा अधिकारियों (नियमित एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा चिकित्सा अधिकारी) को भाग लेने की पात्रता होगी।
7. प्रथम चक्र की कॉउन्सलिंग में सीट्स की पूर्ति न होने पर शेष बची सीट्स के लिए द्वितीय चक्र की कॉउन्सलिंग आयोजित की जाएगी एवं इसके बाद भी सीट्स की पूर्ति न होने पर शेष बची सीट्स के लिए तृतीय चक्र की कॉउन्सलिंग में आयोजित की जाएगी।
8. द्वितीय एवं तृतीय चक्र की कॉउन्सलिंग में ऐसे पी.जी. नीट-2019 क्वालिफाईड इन सर्विस चिकित्सा अधिकारी (नियमित एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा चिकित्सा अधिकारी) भी भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा

सी.पी.एस., मुंबई में ऑन लाईन आवेदन नहीं किया है। इन चिकित्सा अधिकारियों को चयन उपरांत सी.पी.एस., मुंबई को आवेदन शुल्क पृथक से जमा कराना होगा।

9. जिन चिकित्सा अधिकारियों का चयन पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूर्व में हो चुका है, किन्तु उनके द्वारा अभी तक प्रवेश नहीं लिया गया है, उन्हें भी कॉउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी।
10. चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नीट के प्राप्तांक तथा ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु दिये गये महत्व को सम्मिलित कर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सीपीएस पी.जी. डिप्लोमा सीट्स के लिये कॉउन्सलिंग की जाएगी।
11. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स पर कॉउन्सलिंग विभाग में प्रचलित नियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की जाएगी। श्रेणीवार आरक्षण निम्नानुसार दिया जाएगा:-

श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत
एस.सी.	16
एस.टी.	20
ओ.बी.सी.	14

12. श्रेणीवार आरक्षित सीट्स का विवरण निम्नानुसार है:-

S No	Subject	No. of Seats				
		Total	UR	ST	SC	OBC
1	DGO	12	6	2	2	2
2	DCH	6	3	1	1	1
3	DA	4	2	1	1	0
4	DGM	2	1	1	0	0
5	DPM	4	2	1	1	0

13. चिकित्सा अधिकारियों को आरक्षण का लाभ लेने वांछित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत क्रीमीलेयर की परिधि में आने वाले पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
15. द्वितीय चक्र एवं तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में सर्व प्रथम आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीट्स को भरने की कार्यवाही की जाएगी।
16. तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में आरक्षित श्रेणी के विशेष अर्हताधारी चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवेश हेतु आवंटन निम्न क्रम से किया जाएगा:-
 - 16.1.1 अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के पद के विरुद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से
 - 16.1.2 अनुसूचित जाति की रिक्तियों के पद के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से
 - 16.1.3 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरुद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से एवं
 - 16.1.4 उपरोक्त तीनों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से।
17. काउन्सिलिंग के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं जिला/सिविल अस्पताल हेतु अपना विकल्प देना होगा। विकल्प प्रस्तुत करने के बाद इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।
18. पी.जी. डिप्लोमा अवधि के दौरान नियमित चिकित्सा अधिकारियों को वेतन तथा संविदा चिकित्सा अधिकारियों को स्टायपेंड प्राप्त होगा।
19. पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त चिकित्सा अधिकारियों को तीन वर्ष की सेवा विभाग द्वारा विहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में देने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बाँड राशि रूपये 20,000,00/- (रूपये बीस लाख) मात्र का निष्पादन संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश/ मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पक्ष में करना होगा।

20. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु काउन्सलिंग के दौरान कोई शुल्क जमा नहीं करना है, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन के उपरांत आवेदन शुल्क, शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क का भुगतान संबंधित चिकित्सा अधिकारी को करना होगा। सी.पी.एस., मुम्बई द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-


क्रं.	विवरण	राशि (रुपये)
1	आवेदन शुल्क* (Application fees)	15,000
2	शैक्षणिक शुल्क (Enrollment and E-learning fees)	50,200
3	टैब एवं पाठ्य सामग्री (Electronic Paperless Device)	52,400
योग		1,17,600

*नोट - केवल उप चिकित्सा अधिकारियों के लिये जिन्होंने ऑन लाईन आवेदन नहीं किया हो।

21. चिकित्सा अधिकारियों को काउन्सलिंग की सूचना विभागीय वेबसाईट के माध्यम से तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन के माध्यम से दी जाएगी। किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग की जानकारी नहीं दी जाएगी।
22. प्रथम चक्र की काउन्सलिंग में आवंटित सीट्स का परिणाम उसी दिन घोषित किया जायेगा एवं द्वितीय चक्र की काउन्सलिंग हेतु शेष बची सीट्स की जानकारी विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित की जायेगी। इसी प्रकार द्वितीय चक्र की काउन्सलिंग में आवंटित सीट्स का परिणाम उसी दिन घोषित किया जायेगा एवं आवंटन हेतु शेष बची सीट्स की जानकारी विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित की जायेगी।
23. सी.पी.एस. पाठ्यक्रम जुलाई 2019 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होना संभावित है।
24. तीन चक्रों की काउन्सलिंग से डिप्लोमा सीट्स की पूर्ति न होने पर मॉपअप राउण्ड की काउन्सलिंग आवश्यक होने पर की जाएगी।

25. आवश्यक प्रमाण पत्र :-

1. M.B.B.S PASSING CERTIFICATE
2. M.B.B.S MARKSHEET
3. M.B.B.S. DEGREE
4. INTERNSHIP COMPLETION CERTIFICATE
5. CASTE CERTIFICATE (if applicable)
6. CASTE CERTIFICATE VALIDITY (if applicable)
7. NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE (if applicable)
8. STATE MEDICAL COUNCIL REGISTRATION
9. STATE MEDICAL COUNCIL I-Card (if applicable)
10. STATE MEDICAL COUNCIL APPLICATION RECEIPT
11. DOMICILE CERTIFICATE
12. ADDRESS PROOF
13. IN-SERVICE EXPERIENCE CERTIFICATE (Wherever Applicable)
14. NEET PG 2019 SCORE CARD



(राकेश मुंशी)

संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्य प्रदेश